त्रिभवन बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति राज राहुल गर्ग)

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और राज राहुल गर्ग, के समक्ष

त्रिभवन— अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य — *उत्तरदाता*

2010 का CRA-D-No.101-DB

19 अगस्त, 2015

भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 302 और 34 — आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 — धारा 374 —अपीलकर्ता पर उमा तांते की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत सुरेंद्र बिजली के साथ मुकदमा चलाया गया —परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया — सह-अभियुक्त बरी — अपील की अनुमति — हेल्ड — परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित मामले में, मकसद बहुत महत्व रखता है, लेकिन यह कहना कि मकसद की अनुपस्थिति पूरी अभियोजन कहानी को खारिज कर देगी, शायद इस एक कारक को उचित से अधिक महत्व देना है।

अभिनिर्णित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित मामले में मकसद बहुत महत्व रखता है, लेकिन यह कहना कि मकसद की अनुपस्थिति पूरी अभियोजन कहानी को खारिज कर देगी, शायद इस एक कारक को महत्व दे रही है जो उचित नहीं है और मकसद आरोपी के दिमाग में है और इसे शायद ही कभी किसी भी हद तक सटीकता से समझा जा सकता है। (पैरा 12)

इसके अलावा यह भी अभिनिर्णित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना होगा:

1. जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना है, वे संदेह की छाया से परे निर्विवाद साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से स्थापित की गई हैं ;
2. परिस्थितियाँ निर्णायक प्रवृत्ति की हैं जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं;
3. कि परिस्थितियाँ, सामूहिक रूप से, किसी भी उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं, सिवाय उस अपराध के जो उसके खिलाफ साबित किया जाना है;
4. यह कि संबंधित परिस्थितियाँ 'स्थापित होनी चाहिए या जरूर होनी चाहिए' न कि 'हो सकती हैं'। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित होना चाहिए या जरूर होना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है;

5. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

6. परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए;

7. उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए;

8. साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा;

9. कोई श्रृंखला पूर्ण है या नहीं, यह साक्ष्य से निकलने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और कभी भी किसी सार्वभौमिक मानदंड का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 13)

आगे अभिनिर्णित किया गया कि केवल आरोपी-अपीलार्थी की निशानदेही पर चाकू की बरामदगी के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अन्यथा, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए फ़ाइल में कोई सबूत नहीं है। सबूतों की श्रृंखला पूरी नहीं है. न्यायेतर स्वीकारोक्ति, आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे से मृतक द्वारा चलाए गए ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी जैसी परिस्थितियाँ, जिनसे आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, छाया से परे निर्विवाद साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से स्थापित नहीं किए गए हैं। अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से भरा है।परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की नहीं हैं जिससे आरोपी-अपीलकर्ता का अपराध स्थापित किया जा सके। (पैरा 20)

अदिति गिरधर, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए
न्यायमित्र के रूप में।

राजेश गौड़, अतिरिक्त महाधिवक्ता,
हरियाणा।

न्यायमूर्ति राज राहुल गर्ग

(1) यह अपील त्रिभवन पुत्र बालेश्वर पासवान द्वारा की गई है जिसे भिवानी के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा दिनांक 31-10-2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

(2) शुरुआत में सुरेंद्र उर्फ बिजली पुत्र नर सिंह और त्रिभवन-अपीलकर्ता के खिलाफ चालान पेश किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ बिजली को बरी कर दिया, जबकि अपीलकर्ता-त्रिभवन को दोषी ठहराया।

(3) शेर सिंह पुत्र दाता राम निवासी गांव बीरन ने पुलिस को इस आशय की सूचना दी कि 05.06.2007 को दोपहर करीब 1.00 बजे वह अपने खेत में गया था जहां उसने बाजरे की फसल बोई थी। उस समय, उन्होंने एक युवक का मृत शरीर पानी के किनारे पड़ा देखा। उन्होंने यह भी बताया कि शव की ठोड़ी के नीचे गर्दन पर कट का निशान था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके भाई महाबीर भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी उक्त युवक के शव को देखा था। अपने भाई महाबीर को शव के पास छोड़ने के बाद वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। इस रिपोर्ट पर ईएक्स पीबी के तहत धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच की गई। एसआई जयपाल सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। रामफल, फोटोग्राफर से साइट की तस्वीरें प्राप्त की गईं। जांच रिपोर्ट तैयार की गई। घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी उठाई गई जिसे पार्सल में बदल दिया गया। घटना स्थल से क्रमशः एक्स. पीए और एक्स. पीएच के माध्यम से एक जोड़ी चप्पल एक्स. पी 2 और एक पर्ना

एक्स. पी 3 को भी पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। एक्स.पीयू आवेदन करके, मृत शरीर पर पोस्ट-मार्टेम किया गया था।

(4) दिनांक 06.06.2007 को एमएचसी बद्री प्रसाद को पोस्ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृतक के कपड़े से भरा एक पार्सल और एक जार सौंपा गया, जिसे पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।

(5) दिनांक 07.06.2007 को एसआई इंदीवर ने वर्तमान मामले की जांच की। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दिनांक 11-06-2007 को कारी मेहतो, जुगल मेहतो और बुधन टांटे एसआई इंदीवर से मिले। उनके पास मृतक की वस्तुओं की पहचान के संबंध में अखबार की कटिंग थी। उन्होंने मृतक के पहने हुए कपड़े,चप्पल की पहचान की, जिसे पुलिस ने उन्हें दिखाया था। उन्होंने मृतक की तस्वीरों से भी उसकी पहचान की और कहा कि उपरोक्त लेख उमा टांटे से संबंधित हैं। उपरोक्त वस्तुओं को एक पार्सल में 'आईएस' की मुहर के साथ विधिवत सील कर दिया गया था और पार्सल को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया था, उपरोक्त व्यक्तियों ने यह भी खुलासा किया कि मृतक-उमा तांटे का सुरेंद्र @ बिजली और त्रिभवन के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए, धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध भी जोड़ा गया था।

(6) 14.06.2007 को, बिशन सरूप त्रिभवन-अपीलकर्ता को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एसआई इंदीवर के पास लाया और उसे बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन और बिजली ने उमा टांटे की हत्या के संबंध में उसके सामने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की है। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उपरोक्त आरोपियों ने उमा टांटे से ट्रैक्टर ट्रॉली भी लूट ली जो गांव खानक में खदानों में खड़ी थी। उन्होंने आगे कहा कि उनका ड्राइवर उक्त स्थान से ट्रैक्टर ट्रॉली लाया था। आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गवाह बिशन सरूप और एमएचसी बद्री प्रसाद के बयान दर्ज किए गए।

(7) 15.06.2007 को अभियुक्त-अपीलकर्ता त्रिभवन से पूछताछ की गई, जिसने डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट एक्स.पी क्यू दिया कि आरोपी बिजली ने उमा टांटे के साथ दुश्मनी के कारण उमा टांटे की हत्या के लिए उसे 20,000 रुपये दिए थे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उमा तांते की हत्या करने के बाद, उन्होंने उसके शव को तोशाम-भिवानी रोड के पास गांव सांगवान के खेतों में फेंक दिया था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि जिस हथियार से मृतक की हत्या की गई थी, उसे उसने बाला जी स्टोन क्रशर में छिपाकर रखा था और वह उसे बरामद कर सकते हैं। उसने आगे खुलासा किया कि वह पपोसा दादरी के रहने वाले बिजली के ठिकाने की जानकारी दे सकता है। वह उस स्थान का सीमांकन भी कर सकता है जहां शव को फेंका गया था। उपरोक्त प्रकटीकरण बयान एक्स. पीएन के अनुसरण में, आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन ने उस स्थान का सीमांकन दिया जहां शव फेंका गया था। इस संबंध में मेमो एक्स पीएन तैयार किया गया था। इसके बाद, पुलिस दल को बाला जी स्टोन क्रशर में ले जाने के बाद, उसने बाला जी स्टोन क्रशर में स्थित आवासीय घर की दीवार के पीछे की तरफ से मिट्टी हटाने के बाद चाकू बरामद किया। चाकू की बरामदगी के स्थान की स्केच योजना एक्स.पीएम/1 के रूप में तैयार की गई थी। चाकू को 'आईएस' की मुहर के साथ विधिवत सील किया गया और फिर पुलिस के कब्जे में ले लिया गया एक्स.पीएम। मेमो के माध्यम से चाकू की बरामदगी के स्थान की साइट योजना एक्स.पीवी तैयार की थी। स्पॉट एक्स.PL का स्केल्ड साइट प्लान भी तैयार किया गया था। रिपोर्ट एफएसएल, एक्स.पीएफ और एक्स.पीएफ /1, प्राप्त की गई थी।

(8) चूंकि सह-आरोपी सुरेंद्र @ बिजली इस अदालत के समक्ष नहीं है, इसलिए, हमें उससे संबंधित जांच के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

(9) आवश्यक आवश्यक जांच पूरी होने के बाद, चालान अदालत में रखा गया था। आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। हालांकि,

अभियोजन पक्ष सह-आरोपी सुरेंद्र @ बिजली के खिलाफ अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए, उसे बरी कर दिया गया और आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन को धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य लेने के बाद, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया। आरोपी ने अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव यह है कि मामला झूठा है और उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

(10) हमने अपीलकर्ता के लिए न्यायमित्र के रूप में सुश्री अदिति गिरधर और हरियाणा राज्य के लिए हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेश गौड़ को सुना है और पूरे साक्ष्य और रिकॉर्ड पर आने वाली सामग्री का मूल्यांकन किया है।

(11) यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामला है। इस मामले का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कारी मेहतो पीडब्ल्यू -5 वह व्यक्ति है जिसके साथ उमा तांते-मृतक घटना के दिन ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर 2387 पर चालक के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि घटना से कुछ दिन पहले उमा तांते, त्रिभवन और सुरेंद्र उर्फ बिजली के बीच झगड़ा हुआ था। उन्होंने अदालत में मौजूद आरोपियों की पहचान करते हुए कहा कि वे वही हैं जिनके साथ उमा तांते का झगड़ा हुआ था। एसआई इंदीवर पीडब्ल्यू-15 ने कहा कि 15.06.2007 को आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन ने पूछताछ के दौरान कांस्टेबल सुरेश कुमार और वजीर सिंह की उपस्थिति में खुलासा बयान एक्स.पीकयू दिया कि सुरेंद्र @ बिजली ने उमा तांते के साथ बिजली की दुश्मनी के कारण उमा तांते की हत्या के लिए उसे 20,000 रुपये दिए थे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उमा तांते की हत्या करने के बाद उन्होंने उसके शव को तोशाम-भिवानी रोड के पास एक खेत में फेंक दिया है। उन्होंने अपराध के हथियार रखने के बारे में खुलासा किया और निशंदेही को उस स्थान के बारे में भी बताया जहां शव को फेंका गया था। बेशक, पुलिस के सामने इकबालिया बयान, जिसके

द्वारा आरोपी ने खुद को इस अपराध में शामिल किया, स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, उस स्थान के सीमांकन के बारे में प्रकटीकरण विवरण जहां शव को फेंक दिया गया था और अपराध के हथियार को छिपाने के बारे में अच्छी तरह से ध्यान में रखा जा सकता है।

(12) परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित मामले में मकसद बहुत महत्व रखता है, लेकिन यह कहना कि मकसद की अनुपस्थिति पूरी अभियोजन कहानी को हटा देगी, शायद इस एक कारक को महत्व दे रही है जो उचित नहीं है और मकसद अभियुक्त के दिमाग में है और शायद ही कभी इसे किसी भी हद तक सटीकता के साथ समझा जा सकता है।

(13) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए:

1. जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना है, वे संदेह की छाया से परे निर्विवाद साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से स्थापित की गई हैं ;

2. परिस्थितियाँ निर्णायक प्रवृत्ति की हैं जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं;

3. कि परिस्थितियाँ, सामूहिक रूप से, किसी भी उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं, सिवाय उस अपराध के जो उसके खिलाफ साबित किया जाना है;

4. यह कि संबंधित परिस्थितियाँ 'स्थापित होनी चाहिए या जरूर होनी चाहिए' न कि 'हो सकती हैं'। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित होना चाहिए या जरूर होना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है;

5. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

6. परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए;

7.उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए;

8. साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा;

9. कोई श्रृंखला पूर्ण है या नहीं, यह साक्ष्य से निकलने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और कभी भी किसी सार्वभौमिक मानदंड का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

(14) दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस मामले में अभियोजन अभियुक्त-अपीलकर्ता के अपराध के अनुरूप सबूतों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है। शुरू से ही अंत तक, अभियोजन पक्ष के मामले में कमियां हैं जिसने अभियोजन मामले को अत्यधिक संदिग्ध बना दिया है।

(15) सर्वप्रथम महाबीर पीडब्ल्यू-1 के अनुसार 05.06.2007 को दोपहर लगभग 1-1.30 बजे वह खेत में गया, जिसे आगला खेत के नाम से जाना जाता है, और उसने एक युवक का शव देखा, जिसके गले पर कट का निशान था। उन्होंने शेर सिंह को इसके बारे में सूचित किया और उसके बाद शेर सिंह रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तोशाम पुलिस स्टेशन गए। पीडब्ल्यू-2 के रूप में पेश होने पर शेर सिंह ने कहा कि लगभग 14-15 महीने पहले वह अपने खेतों में गया था जहां बाजरे की फसल बोई गई थी। उन्होंने एक युवक का मृत शरीर देखा, जिसकी गर्दन पर कट का निशान था। इस बीच, उसका भाई महाबीर भी खेत में पहुंच गया, उसने भी उक्त युवक के शव को देखा था। उसने अपने भाई महाबीर को शव के पास छोड़ दिया और फिर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास आया। इस प्रकार, इन दोनों गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं। पीडब्ल्यू -1 महाबीर के अनुसार, उन्होंने शेर सिंह को अपने

खेत में मृत शरीर पड़े होने के बारे में सूचित किया, जबकि पीडब्ल्यू -1 शेर सिंह के अनुसार, उन्होंने खुद शव को देखा और महाबीर पीडब्ल्यू -1 बाद में खेत में आया। इस प्रकार, PW-1 और PW-2 के कथन सुसंगत नहीं हैं। शेर सिंह पीडब्ल्यू-2 के बयान पर इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी। इस प्रकार, एफआईआर का आधार ही दहलीज पर है।

(16) कारी मेहतो पीडब्ल्यू -5 ने बयान दिया कि उसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर 2387 था और उमा तांते-मृतक उसके ट्रैक्टर पर चालक था। उन्होंने आगे कहा कि 4/5.2007 की दरम्यानी रात को उमा तांते क्रश की हुई रोड़ी लाने के लिए खानक की खदानों में गई थीं। वह वापस नहीं आया। उसने उसकी तलाश की। बिशन सरूप पीडब्ल्यू-10, जिसके समक्ष आरोपी-अपीलकर्ता ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की, ने पीडब्ल्यू-5 के बयान की पुष्टि इस बिंदु पर की कि मृतक अपनी मौत से पहले पिछले 5-6 महीनों से कारी मेहतो के ट्रैक्टर पर चालक था। उन्होंने आगे कहा कि उमा तांते 04.06.2007 को दोपहर लगभग 1.00 बजे उनके पास आया और उनसे पैसे लिए। उसने उसे भोजन आदि के लिए 100 रुपये दिए। इसके बाद उमा तांते खानक के लिए रवाना हो गया। उन्होंने आगे कहा कि कारी मेहतो पीडब्ल्यू-5 ने 04.06.2007 को शाम लगभग 7-8 बजे उनसे मुलाकात की और उसके बाद वह 05.06.2007 को भिवानी में दोपहर 1.00 बजे अपने कारखाने के स्थल पर उनसे मिले। इस गवाह के अनुसार, तोडे गए पत्थरों को कलिंगा गांव ले जाया जाना था। वह 04-06-2007 को अपराह्न लगभग 3 बजे कलिंगा गांव गए थे। उन्होंने मृतक का इंतजार नहीं किया। 05-06-2007 को वह सुबह 10बजे कलिंगा गांव गया था लेकिन मृतक और ट्रैक्टर ट्रॉली उस समय तक वहां नहीं पहुंचे थे। यहां तक कि 05-06-2007 तक मृतक और ट्रैक्टर कलिंगा गांव में वापस नहीं पहुंचे थे। इस पीडब्ल्यू के अनुसार, इसके बाद, उन्होंने पूरे तोशाम क्षेत्र में मृतक की तलाश की, लेकिन मृतक के लापता होने के साथ-साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फाइल पर इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है कि मृतक के नियोक्ता कारी मेहतो ने

पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। वह त्रिभवन, बुधन तांते और जुगल मेहतो के साथ उमा तांते के सामान की पहचान के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन गए थे।

(17) पीडब्ल्यू-10 बिशन सरूप के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन और सह-आरोपी सुरेंद्र @ बिजली ने 13.06.2007 को उसके सामने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की। उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने गलती की है और उमा तांते की हत्या कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि इसे कबूल करने के बाद, आरोपी सुरेंद्र @ बिजली भाग गया था। अगले दिन, आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन उसके पास आया और फिर वह उसे तोशाम के पुलिस स्टेशन ले गया। सुरेंदर @ बिजली 14-06-2007 को वापस नहीं लौटा। फाइल पर इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कैसे और किन परिस्थितियों में आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन ने बिशन सरूप के समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति करने के बाद उसका स्थान छोड़ दिया और उसके बाद वह 14.06.2007 को बिशन सरूप के पास फिर से कैसे आया।

(18) सबसे ऊपर, बिशन सरूप पीडब्ल्यू -10 के अनुसार, ट्रैक्टर और ट्रोली पुलिस स्टेशन में खड़े थे जब वह त्रिभवन को पुलिस स्टेशन ले गए। बद्री प्रसाद पीडब्ल्यू-3 ने कहा कि 14.06.2007 को बिशन सरूप ने जीरा-रोड़ी (पत्थरों) से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन को पुलिस स्टेशन में पेश किया । मामले के जांच अधिकारी एसआई इंदीवर ने पीडब्ल्यू-15 के रूप में कहा कि 14.06.2007 को बिशन सरूप पीडब्ल्यू-10 त्रिभवन और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उनके पास आया था। बिशन सरूप ने उन्हें बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता ने उमा तांते की हत्या के संबंध में उनके सामने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की थी और उन्हें यह भी बताया था कि उन्होंने उमा तांते से ट्रैक्टर ट्रॉली लूटी थी, जो गांव खानक में खदानों में खड़ी थी। बिशन सरूप का ड्राइवर आरोपी द्वारा बताई गई जगह से ट्रैक्टर ट्रॉली बिशन सरूप को लेकर आया था। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, बिशन सरूप पीडब्ल्यू -10 ने जांच अधिकारी और बद्री प्रसाद पीडब्ल्यू -3 के बयान के इस हिस्से की पुष्टि

नहीं की। इस बिंदु पर, बिशन सरूप को विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गई लेकिन कुछ भी सामग्री नहीं निकाली जा सकी। उन्होंने पुलिस के सामने यह कहने से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि तोडे हुए पत्थरों वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को उन्होंने पुलिस के सामने पेश किया था। ऐसे में आरोपी-अपीलकर्ता त्रिभवन के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी भी संदेह से खाली नहीं है।

(19) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मृतक के मृत शरीर पर पोस्ट-मार्टेम 06.06.2007 को डॉ. विनोद कुमार कांगड़ा पीडब्ल्यू-14 द्वारा किया गया था। उन्होंने पोस्ट-मार्टेम रिपोर्ट की प्रति को एक्स.पीयू /1 के रूप में साबित किया। डॉक्टर ने मृत्यु और पोस्ट-मार्टेम परीक्षा के बीच की अवधि 3 से 4 दिन बताई। जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी राय में मृतक की मौत 2/3 जून, 2007 की रात को हुई हो सकती है। अपीलकर्ता के वकील के अनुसार, यदि हम मृत्यु और पोस्ट-मार्टेम के बीच डॉक्टर द्वारा दी गई अवधि को देखते हैं, तो उस घटना में, मृतक की मृत्यु 04.06.2007 से पहले भी हुई होगी। उपरोक्त चर्चा की परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का यह तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है। वास्तव में, फाइल पर इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

(20) नतीजतन, केवल आरोपी-अपीलकर्ता की निशानदेही पर चाकू की बरामदगी के आधार पर, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अन्यथा, उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए फाइल पर कोई सबूत नहीं है। सबूतों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है। न्यायेतर स्वीकारोक्ति, अभियुक्त-अपीलकर्ता के कब्जे से मृतक द्वारा संचालित ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी जैसी परिस्थितियां, जिनसे आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, संदेह की छाया से परे निर्विवाद साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से स्थापित नहीं की जा सकी हैं। अभियोजन का मामला संदेह से भरा है। परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक नहीं हैं ताकि आरोपी-अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित किया जा सके।

(21) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस अपील में दम पाते हुए, दिनांक 31.10.2009 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 04.11.2009 की सजा की अवधि पर आदेश को रद्द किया जाता है और संदेह का लाभ देकर अभियुक्त-अपीलकर्ता को बरी करने का आदेश दिया जाता है। जमानत बांड का निर्वहन किया जाएगा। यदि आरोपी-अपीलकर्ता हिरासत में है, तो उसे तुरंत रिहा किया जा सकता है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

हथीन, हरियाणा